भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया द्वारा भारत माला परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चार लेन इंटर कॉरिडोर (Green Field Alignment), राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास (आमस से शिवरामपुर तक)परियोजना के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् दिनांक 28.10.2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय, टिकारी, जिला–गया के सभागारमें आयोजित लोक सुनवाई का वृत।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File.No. 10/19/2021-IA.III, dated 20.05.2021 (प्रस्ताव संख्या IA/BR/NCP/204598/2021) के आलोक में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता, गया(जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि)की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 28.10.2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय, टिकारी, जिला–गया के सभागार में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, सोन वर्षा वाणी, हिन्दुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, के माध्यम से दिनांक 21.09.2021 को प्रकाशित की गयी थी(प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री डा0 विनय यादव एवं राजेश कुमार विश्वास ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास कार्य, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आम–जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित राजमार्ग आमस (पुराना राजमार्ग संख्या–2/नया राजमार्ग संख्या–19) से शुरू होता है और शिवरामपुर पर समाप्त होता है। वर्तमान परियोजना का दायरा चैनल–00+000 से चैनल–55+002 तक सीमित है। यह एक हरित क्षेत्र संरेखण है और 4–लेन के लिए प्रस्तावित है।यह सड़क बिहार राज्य के आमस, गुरूआ, गुरारू, परैया, टिकारी, बेलागंज प्रखण्डों के माध्यम से गया जिला होकर गुजरती है।

इस परियोजना राजमार्ग की प्रस्तावित लम्बाई लगभग 55.002 किलोमीटर है। कुल अधिग्रहित भूमि 376.50 हेक्टेयर (सरकारी भूमि 60.82, निजी भूमि 310.18 एवं वन भूमि 5.5 हेक्टेयर) है। संरेखण किसी वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र और इसके पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से नहीं गुजरता है। परियोजना के दौरान प्रमुख पुल (04), छोटे पुल (27), वाहन अंडरपास (02), एलवीयूपी (05), एसवीयूपी (12), इंटरचेंज/फ्लाईओवर (05), आरओबी (02), बॉक्स कल्वर्ट्स (96) का निर्माण प्रस्तावित है।
कुल पानी की आवश्यकता 12956 किलोलीटर/दिन होगी।

निर्माण सामग्री में कोर्स एग्रीगेट 141492 घन मी0, फाइन एग्रीगेट 52055 घन मी0, स्टील–15782 टन, सीमेंट 10228.89 टन, बिटुमेन 20453 टन एवं बिटुमेन इमल्शन 1122 टन का उपयोग प्रस्तावित है।

परियोजना लागत रू0 1207.91 करोड़ होगा।

परियोजना के लाभ–यह NH-2 से NH-57 और उत्तर–बिहार से दक्षिण बिहार की दूरी और यात्रा के समय को काफी हद तक कम कर देगा और दूरदराज के क्षेत्रों और प्रमुख शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। परियोजना इन क्षेत्रों के विकास पर जोर देती है और उन्हें संसाधनों के साथ उपलब्ध कराती है। बेहतर कनेक्टिविटी के अलावा यह प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में आने वाले गाँवों/कस्बों की अर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा देगा। प्रस्तावित परियोजना से सड़क दक्षता में सुधार होगा और आर्थिक विकास होगा।

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)–परियोजना के निर्माण चरण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण जिम्मेदारियों के दौरान प्रस्तावित उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना विशिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गयी है। पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) को पर्यावरण और सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर विभिन्न नियामक आवश्यकताओं के ढांचे के भीतर डिजाईन किया गया है, जिसका लक्ष्य निम्नलिखित है:–

1. देशी वनस्पतियों और जीवों, यदि कोई हो, को कम से कम प्रभावित हो।
2. वायु, जल मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण, यदि कोई हो, को रोकना और कम करना।
3. सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

एक्सप्रेसवे के दोनो तरफ वृक्षारोपण I.R.C.SP21 2009 एवं हरित राजमार्ग नीति 2015 के अनुसार कराया जाएगा जिसमें मार्ग के दोनो तरफ पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के छायादार पौधे लगाए जाएंगे। जिससे वातावरण शुद्ध रहेगा।

राइट ऑफ वे (ROW) के उपलब्धता के अनुसार पहले जलभृत की जल तालिका के आधार पर मार्ग के दोनो ओर 500 मीटर के अन्तराल पर वर्षा जल संचयन संरचनाएँ प्रदान की जाएगी।

प्रस्तावित संरेखन ग्रीनफिल्ड क्षेत्र से होकर गुजरता है जो कि बसावटो और संवेदनशील रिसेप्टर्स से दूर है। शोर का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव प्रत्याशित नहीं है। मिट्टी के काम और निर्माण सामाग्री के लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। यातायात के दौरान सभी निर्माण सामाग्री को तिरपाल से ढक कर ले जाएगा। सभी निर्माण मशीनरी को नियत्रंण उपकरणो से संचालित किया जाएगा। और किसी गतिविधि से पहले राज्य प्रदूषण नियत्रंण पर्षद् से सहमति प्राप्त की जाएगी।

निर्माण के दौरान ठोस अपशिष्ट का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव/मंतव्य इस प्रकार है:–

1. श्री चन्द्रशेखर सिंह, पिता– श्री ब्रहमदेव सिंह, ग्राम–खनेटु, प्रखण्ड–टिकारी, जिला गया द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में ग्रामीणों की काफी जमीन जा रही है, मुआवाजा कम है, ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का दर बढ़ना चाहिए। टिकारी प्रखण्ड में स्थानीय कैम्प लगाया जाए, मुख्यालय गया जाने में ग्रामीणों को दिक्कत होती है।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण सक्षम पदाधिकारी भू–अर्जन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास और स्थानांतरण (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर.) अधिनियम, 2013 के उचित प्रावधानों और राज्य सरकार के संशोधनों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण पर लागू आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 की अनुसूचि 1 अनुसार मुआवजे का निर्धारण, अनुसूचि 2 अनुसार पुनर्वास और स्थानांतरण सहयता का निर्धारण किया जायेगा।

2. मो0 शकील अंसारी, पिता– मो0 जमरूद्दीन, ग्रांम–सहवाजपुर, प्रखण्ड–टिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि हमारे गाँव में कब्रिस्तान का जमीन रोड में चला गया है यदि संभव होगा तो बचा लेगें।
3. श्री बृजकिशोर शर्मा पिता श्री बागेश्वरी शर्मा, ग्राम भोरी, प्रखण्ड टिकारी, जिला गया द्वारा सूचित किया गया कि भूमि अधिग्रहण क्षेत्र तालाब से होकर जा रहा है। जल निकासी बन्द हो रहा है। जल–जीवन–हरीयाली परियोजना एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया कि हमलोग डिजाईन में जल निकासी का ध्यान रखते है प्राकृतिक जल निकासी का छेड़छाड़ नहीं किया जाता है पुल पुलिया बनाकार जल निकासी का व्यवस्था किया जाता है।

श्री शर्मा द्वारा पुनः बताया गया कि हमलोग का जमीन का कागजात अद्यतन नहीं है खतियान दादा के नाम से है इस स्थिति में हम क्या करें।

इन्हे बताया गया कि अपनी जमीन की कागजात अद्यतन करा लें, इसके लिए संबंधित अंचलाधिकारी से सर्म्पक किया जा सकता है।

4. श्री संजीत कुमार, पिता श्री महाबीर प्रसाद शर्मा, ग्राम लखीबाग, द्वारा सूचित किया गया कि एन0 एच0 के बगल में ही जमीन है, मुआवजा कम है, बगल में स्कूल भी है जिसका मुआवजा भी नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय (अपर समाहर्त्ता, गया) द्वारा बताया गया कि यह परियोजना अन्तर्गत सड़क आमस से शिवरामपुर तक जाएगी। यह बिहार का पहला एक्सप्रेसवे

है। यह जी0 टी0 रोड से बेहतर होगा। यह एक ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट है जो मुख्य आवादी से हट कर बनाया जाएगा। जिससे आबादी प्रभावित नहीं होगी। इस योजना के तहत जमीन अधिग्रहण कि आवश्यक्ता होती है। जमीन सरकार की होती है। हम और आप रैयत हैं, जो जमीन का भाड़ा देते है। सरकार जब चाहती है जमीन अधिग्रहण करती है एवम मुआवजा देती है। मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार दी जाती है। भूमि अधिग्रहण हेतु जमीन की सूची बनती है, उसकी नापी होती है, स्थानीय समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन किया जाता है। जमीन का मालिक जिनके नाम से रसीद कटता है मुआवजा उन्हीं को दिया जाता है। अपर समाहता द्वारा ग्रामीणों को सुझाव दिया गया कि संबंधित अंचल में जमीन का दाखिल खारीज को अद्यतन करा लें।

5. श्री नीतीश कुमार, पिता श्री राजीव कुमार ग्राम–लखीबाग द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना के तहत किस तरह का रोजगार मिलेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि योग्यता के अनुसार इन्जीनियर, कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर इत्यादि रोजगार कि संभावना है। स्थानीय लोगो को प्राथमिकता दी जाएगी।

6. श्री प्रवीण कुमार, श्री राकेश प्रसाद सिंह, ग्राम–बिहुरा द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना के तहत पेड़ की कटाई होगी, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे कि जाएगी।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया की एक पेड़ कटने के बदले दो पेड़ लगाएंगे। सड़क के बिचोबीच डिभाइडर में वृक्षारोपन किया जाएगा। सड़क के दोनो साइड में दो या तीन पंक्तियों में वृक्षारोपन किया जाएगा।

7. श्री सुरेश प्रसाद विद्यार्थी, पिता ईश्वर सिंह ग्राम मझियावां परैया द्वारा सूचित किया गया कि एक एकड़ में सागवान का गाछ है।

पर्यावरण सलाहकार के द्वारा सूचित किया गया कि बागीचा का भी मूल्यांकण वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाएगा एवं नियमानुसार मुआवजा एवं बागीचा की भरपाई सुनिश्चित की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय (अपर समाहर्त्ता, गया) द्वारा बताया गया कि भूमि का अद्यतन म्युटेशन करालें। मृत आदमी के नाम से रशीद नहीं कटना चाहिए नही तो मुआवजा राशि नहीं मिल पाता है और राशि को कोर्ट में जमा करना पड़ जाता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि आपलोग की बात का ध्यान रखा जाएगा। परियोजना के दौरान स्थानीय जनता को विश्वास में लेने की आवश्यकता

है। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि प्रदूषण न्यूनतम हो स्थानीय लोगो को रोजगार मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक–सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक–सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

28-10-24

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

28/10/2024

अपर समाहर्त्ता
गया

उपस्थिति सूची

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गया द्वारा भारत माला परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चार लेन इंटर कॉरिडोर (Greenfield alignment) राष्ट्रीय राजमार्ग आमस से शिवरामपुर परियोजना का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रखण्ड कार्यालय, टिकारी, जिला-गया का सभागार में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 28.10.2021 के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मनोज कुमार	अपर समाहर्ता सह अपर जिला दण्डाधिकारी	[signature] 28/10/2021
2.	आशीष कुमार गुप्ता क्षेत्रीय पदाधिकारी	बि० रा० प्र० नि० पर्षद, गया ~~पटना~~	आशी. 28-10-21
3.	Dr-Vinay Yadav	S.A Infra Noida	[signature]
4.	Ved Prakash TDO, Tekari	TDO,	[signature] 28/10/21
5.	Anand Prakash Ram	C.O. Tikari	[signature] 28/10/2021
6.	Prabhat Ranjan Pandey, PD, NHAI, Gaya.	Gaya	[signature] 28/10/2021
7.	R. Chitransh, Dy Manager(T), NHAI-Gaya	Gaya	[signature] 28/10/2021
8.	RAJESH KUMAR VISHWAS (Environment Consultant)	P&M Solution Noida, UP.	Rajesh 28/10/2021
9.	Gaurav Kumar	Tekari	[signature] 28/10/21
10.	Nitish Kumar	Tekari	Nitish Kumar
11.	Sanjay Kumar.	Lakhnebagh	[signature]
12.	विजय कुमार	लखिनबाग	विजय कुमार
13.	Vijay Kumar	Tekari	विजय कुमार

14.	Ramratan Yadav	Mushi	राम रतन यादव
15.	Jamuna Manjhi	Shahbazpur Tepa	जमुना मांझी
16.	Baban Singh	[illegible]	Baban Singh
17.	Pravin Kumar	DIHURA	Pravin Kumar
18.	राजेश कुमार	Teka.	राजेश कुमार
19.	मो० कासीद	Shahbajpur	मो० कासीद
20.	मो० सद्दीक	"	[illegible]
21.	मो० शकील	Shahbazpur.	Shakil.
22.	रामविजय प्रसाद	शहबाजपुर	[illegible]
23.	सच्चिदानंद सिंह	मदमना	सच्चिदानंद सिंह
24.	वाल्मिकी मिश्र	[illegible]	वाल्मिकी मिश्र
25.	मो० इकबाल	बी विशुनगंज	मो० इकबाल
26.	मो० अख्तर	बिसुनगंज शहबाजपुर	मो० अख्तर
27.	मो० हसनैन	बिशुनगंज	मो० हसनैन
28.	बृज किशोर शर्मा	गोरी	[illegible]
29.	अहमद हुसैन	शहबाजपुर बिशुनगंज	अहमद हुसैन
30.	मो० अरमान	शहबाजपुर बिशुनगंज	मो० अरमान
31.	मो० मेराज	बिशुनगंज	मो० मेराज
32.	राकेश प्रजापति	इस्लामपुर	राकेश प्रजापति
33.	प्रवीण कुमार	डिहुरा	प्रवीण कु०

34.	जमुना मांझी	[illegible]	जमुना मांझी
35.	राम रतन यादव	[illegible]	राम रतन यादव
36.	विजय कुमार	मूलीमठ महामाया	विजय कुमार
37.	रामईश्वर यादव	शीतलपुर	रामईश्वर यादव
38.	राहुल राज	ईजामा [illegible]	राहुल राज
39.	धीरज शर्मा	ग्राम - टेपा	धीरज शर्मा
40.	कमलेश यादव	[illegible]	कमलेश यादव
41.	[illegible]	हरनामठ	[illegible]
42.	सुरेश प्रसाद विद्यार्थी	मंझियावां	[illegible]
43.	अनुप कुमार	मझियावां	Anup kr
44.	श्रीराम महतो	मझियावां	श्रीराम महतो
45.	चंदन कुमार	मंझियावां	Chandan Kr
46.	भगवान सिंह	मंझियावां	भगवान सिंह
47.	शिव कुमार	मंझियावां	शिव कुमार
48.	अरुण शर्मा	टेपा	अरुण शर्मा
49.	दीपक कुमार	टेपा	दीपक कुमार
50.	जनार्दन प्रसाद	टेपा	जनार्दन प्रसाद
51.	शैलेन्द्र प्रसाद	टेपा	शैलेन्द्र प्रसाद
52.			
53.			